


11.06.2024 - पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष
निवेदन पर पत्रावली में सुना गया। पत्रावली का
अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर
उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं वकील की बहस को
मध्यमजर रखते हुए। वाद पत्र स्वीकार किया जाकर
राजीनामा अनुसार निर्णय अलग से लिखाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल
पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में तहसीलदार
राजस्व हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील
दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़